कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

कृषि वानिकी चेतना केन्द्र, अनूपशहर रोड, छेरत, अलीगढ़, पिन–202001 * ई–मेलः cfaligarh@gmail.com

पत्रांक 1780 / 14–1, दिनांकःअलीगढ़ःजनवरी 11 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः एटा में एटा–टूण्डला मार्ग एस.एच.–31 के कि.मी. 26.088 की बांयी पटरी पर ग्राम बाबरपुर के खसरा संख्या–988 में विकसित किये जा रहे एस्सार आयल लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.092976 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भः भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के , कार्यालय की पत्र संख्या 8बी / 06 / 29 / 2016 / एफ.सी. / 357, दिनांक 01.11.2016 तथा आपका पत्रांक 976 / एटा / 13615 / 2016, दिनांक 07.11.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संदर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा ने अपने कार्यालय पत्रांक 1275 / 14–1, दिनांक 06.01.2017 द्वारा लगायी गयीं आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया है। अतः आपत्तियों पर आख्या निर्धारित प्रपत्र में मय संलग्नक 03 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। प्राप्ति स्वीकार करें।

बिन्दु सं0	आपत्ति का विवरण	अनुपालन की स्थिति
1	2	3
1	वनाधिकार अधिनियम 2006 प्रमाण पत्र	संशोधित क्षेत्रफल के अनुसार प्रमाण पत्र संलग्न है।
2.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु होने वाला व्यय सारांश में	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु होने वाला व्यय सारांश में संशोधित क्षेत्रफल अंकित कर दिया गया है।
3.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल के भू–संदर्भित मानचित्र में।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल के भू–संदर्भित मानचित्र में संशोधित क्षेत्रफल अंकित कर दिया गया है।
4.	वन भूमि का प्रकार वन स्वरूप भूमि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।	वन भूमि का प्रकार वन स्वरूप भूमि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र में संशोधित क्षेत्रफल अंकित कर दिया गया है।
5.	स्थल निरीक्षण आख्या।	स्थल निरीक्षण आख्या में संशोधित क्षेत्रफल अंकित कर दिया गया है।

6.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल के भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र में।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल के भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र में संशोधित क्षेत्रफल अंकित कर दिया गया है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र में।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र में संशोधित क्षेत्रफल अंकित कर दिया गया है।

उक्त के अतिरिक्त लीज अवधि, अनुबन्ध पत्र, क्षतिपूरक वृक्षारोपण सम्बन्धी प्रमाण पत्र, एन. पी.वी. सम्बन्धी प्रमाण पत्र, भू–स्वामित्व सम्बन्धी प्रमाण पत्र, मानक शर्ते व मक मैनेजमेन्ट प्लान आदि अन्य समस्त प्रमाण पत्रों में संशोधित क्षेत्रफल अंकित कर दिया गया है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(बी0 प्रभाकर)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांकः– /14–1, दिनांकित।

प्रतिलिपिः–प्रभागीय सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा को पत्रांक 1275/14–1, दिनांक 06.01.2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(बी0 प्रभाकर)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।